

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

E-mail ID :: dfotechwara@mp.gov.in

P.-(07162)243457, Fax(07162)242267

क्रमांक/तकनीकी/2024/ 605

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 25/07/2024

प्रति,

वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वन वृत्त

विषय :-

छिंदवाड़ा जिले में तंसरा से नोनीछापर मार्ग के निर्माण / उन्नयनीकरण हेतु 3.082 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, छिंदवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत। (सी.एम. हेल्प लाइन शिकायत क्रमांक 21259003 दिनांक 04.2023 एवं 22113783 दिनांक 07.05.2023)

संदर्भ :-

1 आपका पत्र पृष्ठांकन क्र./एफ-5/1080/2021/10-11/627 दिनांक 09.02.2023
2 कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा का पत्र क्रमांक पृष्ठांकन क्रमांक/222 दिनांक 09.01.2024 एवं परिवेश पोर्टल 1.0 पर प्रावेष्टि दिनांक 22.07.2024

—000—

निवेदन है कि, विषयांकित प्रकरण में तंसरा से नोनीछापर मार्ग लम्बाई 7.50 कि.मी. के एकरेखण में आने वाले 3.082 हेक्टेयर वनभूमि में मार्ग निर्माण हेतु आवदेक विभाग द्वारा उक्त प्रकरण की प्रशासकीय स्वीकृति परिवेश पोर्टल 1.0 पर दिनांक 22.07.2024 को अपलोड की गई है पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सम्प्रेषित है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- प्रशासकीय स्वीकृति।

(प्रिजेन्ड श्रीवास्तव) भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा, दिनांक/ 25/07/2024

पृष्ठा.क्रमांक/माचि/2023/ 606

प्रतिलिपि :-

01 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष - भू प्रबंध) वन भवन भोपाल म.प्र की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02 कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा

गध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/08/2019/19/यो-3497-
प्रति,

भोपाल दिनांक 25/11/2019

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 181वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 181वीं बैठक जो दिनांक 25.10.2019 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार नतदेय मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4		6
1	आगर मालवा	24-5054- 0101- 2457	श्यामपुरा से कालवा बालाजी मार्ग	5.50	352.02
2	अलीराजपुर	24-5054- 0102- 2457	बरझर मेन रोड से कोरियापान मार्ग	3.50	440.14
3	अलीराजपुर	24-5054- 0102- 2457	छोटीपोल से सेजावाड़ा (बड़ा खुटाजा) मार्ग	5.30	312.33
4	अनूपपुर	24-5054- 0101- 2457	कोतमा केशवाही (ओ. डी. आर.) बंजारी चौक से बुरहानपुर पतेरांटोला होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-43 तक पहुँच मार्ग	3.00	173.70
5	अनूपपुर	24-5054- 0101- 2457	ढोडहा रोड से बसखला पहुँच मार्ग	3.30	188.68
6	अनूपपुर	24-5054- 0102- 2457	ग्राम पंचायत खेतगांव से मझौली से शिवालय घाट नर्मदा तट तक मार्ग	1.20	105.12
7	अशोकनगर	24-5054- 0103- 2457	खेजरा तास से शादौरा कुन्दो मार्ग (सडूमरा)	4.00	214.77

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4		6
85 P	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	कामठीकलां लेंदागोदी मार्ग	2.40	491.71
86 P	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	मोहखेड़ी बिरोली मार्ग	2.20	146.23
87	छिंदवाड़ा	24-5054- 0102- 2457	तंसरा से नोनीछापर मार्ग	7.50	728.78
88	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	मनकादेही कला से कन्हरगांव मार्ग	1.90	218.65
89	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	नार्थ चांदामेटा से जाटाछापर मार्ग	3.00	254.49
90	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	बरंगा मासुल मार्ग	2.60	467.03
91	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	खिरसाडोह देवरीढाना से ढाला मार्ग	4.80	377.89
92	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	गुरैया धार चकाढाना नईढाना मेढामल मार्ग	2.80	291.72
93	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	मनकादेही कला से कन्हरगांव मार्ग	1.90	218.65
94	छिंदवाड़ा	24-5054- 0103- 2457	साजवा से खारा पिण्डरईढ मार्ग	5.40	539.85
95	छिंदवाड़ा	24-5054- 0101- 2457	निम्नी से काजलवानी मार्ग	3.20	403.60
96	छिंदवाड़ा	24-5054- 0101- 2457	घोटी भुडकुम्भ से पीपरधारी मार्ग	5.00	574.94
97	छिंदवाड़ा	24-5054- 0101- 2457	रिधोरा बस स्टैण्ड से धोटकी मार्ग	4.20	407.16

2/ उक्त कार्यों को समक्ष में उल्लेखित मॉग संख्या के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।


3/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईट पर डाला जाये।

सहपत्र:-293 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


25/11/19
(पी0सी0 बारस्कर)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग


पृ0 क्रमांक एफ-43/08/2019/19/यो-3498

भोपाल दिनांक 25/11/2019

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (मध्य परि0) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
 2. मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
 3. मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
 4. मुख्य अभियंता (सागर परि0) लोक निर्माण विभाग सागर।
 5. मुख्य अभियंता (रीवा परि0) लोक निर्माण विभाग रीवा।
 6. मुख्य अभियंता (पश्चिम परि0) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
 7. मुख्य अभियंता (उज्जैन परि0) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
 8. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
 9. रिकार्ड फाईल लोक निर्माण विभाग योजना शाखा मंत्रालय।
- की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 08 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


25/11/19
सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग